~ ~

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 131/2025 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दलपतसिंह पुत्र मुका जाति पुरोहित, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. GREEN INFRA CLEAN WIND TECHNOLOGY LIMITED जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेन्द्रसिंह जाति राजपुत, निवासी आउ तहसील आउ, जिला जोधपुर		1. अमरसिंह पुत्र मुका 2. गुमानसिंह पुत्र मुका 3. नखतसिंह पुत्र मुका 4. मोतीसिंह पुत्र मुका जाति पुरोहित, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 11.03.2026

वादीगण अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल बीसुकला के ग्राम पुषड के खेत खसरा नम्बर 288 रकबा क्रमशः 48.6836 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	दलपतसिंह पुत्र मुका हि. पूर्ण जाति पुरोहित सा. देह (GREEN INFRA CLEAN WIND TECHNOLOGY LIMITED को लीज)	पुषड	288	9.7367	बा.चा.	–	भूरा
2	अमरसिंह पुत्र मुका 1/4, गुमानसिंह पुत्र मुका 1/4, नखतसिंह पुत्र मुका 1/4, मोतीसिंह पुत्र मुका 1/4 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार	पुषड	288	38.9469	बा.चा.	–	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.24 19:16:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)